संचिका सं0–7 / बजट–46–05 / 2025– **32(7)**

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक–15 / 05 / 2025

विषयः– अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के कंकड़बाग, पटना अवस्थित भू–खण्ड रकबा 1.60 एकड़, को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित करने हेतु भू–अर्जन मद में रू० 48,00,00,000 / –(रूपये अड़तालिस करोड़) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–746(10), दिनांक–05.12.2024 के द्वारा अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना का कंकड़बाग, पटना अवस्थित भू–खण्ड रकबा 1.60 एकड़, को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित करने हेतु रू० 48.00 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए उक्त भूमि का स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के द्वारा हस्तान्तरित इस भू–खंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नामांकन के आधार पर 99 वर्ष की लीज (Lease) पर शंकरा आई फाउण्डेशन इंडिया, कोयम्बटूर को उपलब्ध कराया जाएगा।

2– पटना जिलान्तर्गत अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन हेतु मौजा–लोहानीपुर, थाना–06 अन्तर्गत रकबा 1.60 एकड़ रैयती भूमि (खेसरा संख्या–484–489 तक) को बिहार रैयती भूमि सतत लीज नीति के तहत प्राप्त करने हेतु अनुमानित मूल्य रू० 48,00,00,000 / –(रुपये अड़तालिस करोड़) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–23(7), दिनांक–08.05.2025 द्वारा दी गयी है, किन्तु तकनीकी कारणों से राशि की निकासी नहीं की जा सकी।

3– उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल की स्थापना एवं संचालन हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के कंकड़बाग, पटना अवस्थित भू–खण्ड रकबा 1.60 एकड़, को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित करने हेतु भू–अर्जन मद में रू० 48,00,00,000 / –(रूपये अड़तालिस करोड़) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि०(2), दिनांक–17.04.1998, 2880 / वि०(2), दिनांक–06.05.2006, 2938 / वि०(2), दिनांक–08.04.2008, 3758 / वि०, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–050–भूमि, उपशीर्ष–0101–शहरी चिकित्सा संस्थानों के लिए भू अर्जन विपत्र कोड–20–4210010500101 के अंतर्गत विषय शीर्ष–0101–53–02 भू–अर्जन में बजट उपबंध / पुनविर्नियोग के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में खाता अंतरण के माध्यम से बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के द्वारा उपलब्ध कराये गये **PLA-PTSPLA025, Payment HoA- 00-8448-00-108-0002-00-01** (पत्रांक–1648, दिनांक–14.05.2025) खाते में जमा करायेगे।

7– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–7/बजट–46–05/2025 के पृष्ठ–02/टि0 पर प्राप्त है।

8– प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति प्राप्त है।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10– यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.5.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–7/बजट–46–05/2025–**32(7)**/स्वा0, पटना, दिनांक–**15/05/2025**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

15.5.25

सरकार के अपर सचिव।